
र्राजस्ट्री सं. ती. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



(विदेश कर प्रभाग)

त्रधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1990

ग्रायकर

स: .का .ति. 72(ग्र) ---- दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए श्रीर ग्राय पर करों की बाबत र'ज वित्तीय ग्रपतंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार श्रीर पोलैण्ड लोक गणराज्य की सरकार के बीच इससे उपाबद्ध करार, उक्त करार के ग्रनुच्छेद 30 के ग्रनुमार उक्त करार को प्रवर्तन में लाने के लिए उनकी विधियों की ग्रपेक्षानुमार दोनों संविदाक रो राज्यों द्वारा ग्रधिसूचना श्रीर प्रक्रियाश्रों के पूरा होने की एक दूसरे को संसुचना के पश्च त् 26 अक्तूबर, 1989 को प्रवृत्त हो गया है : ग्रतः ग्रव, केन्द्रोय सरकार, अःथकर प्रधिनिथम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कांग्री (लभ) ग्रतिकर ग्राधिनियम, 1964 (1964 का 7) के धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपवंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जःएगा।

उपाबन्ध

ग्रःय पर करों के संबंध में दोहरे कर धान के परिहार और रोजस्व ग्राप्यंचन की रोकथाम के लिए भारन गणराज्य की सरकार

ग्रौर

पोलैण्ड लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और पोलेण्ड लोक गणराज्य की सरकार ने दौनों देशों के बीच ग्राधिक लंबंधों को ग्रौर मजबूत करने तथा उन्हें ग्रौर ग्रागे बढ़ाने की इच्छा से, ग्रौर ग्राथ पर करों के संबंध में दोहरे

(1)

कराधान के परिहार और रोजम्ब-- प्रपवंचन की रोकचाम के लिए एक करार सम्पन्न करने का निर्णय लेकर नीचे लिखे अनुमार सहमत हुई है:

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक ग्रयवा दोनों के निवासी हैं।

ग्रनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत अने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :---

- (क) भारत में :
- (1) ग्रायकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गन ग्रायकर और उस पर लगाया जाने वाला कोई ग्रधिभार :
- (2) कम्पनी (लाभ) प्रतिरिक्त कर प्रधिनियम, 1964 के प्रन्तांन लगाया जाने वाला ग्रतिकर (जिन्हें इसमें इमके बाद ''भारतीय कर" कहा जाएगा ।
- (ख) पोलैण्ड में :
- (1) ग्रायकर (पोडटेक डेचोडोकी);
- (2) मजदूरी ग्रीर वेतन पर कर (पोडटेक ग्रोड पाइनग्रोड्जैन);
- (3) समता कर (पोडटेक वाइरड्वनावजी); ग्रीर
- (4) क्रषिकर (पोडटेक रोलनी); (जिन्हें इसमें इसके व'द ''पोलिंग कर''कहा जाएगा) ।

2. यह करार किसी भी समरूप प्रायवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लग् होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पक्ष्वात पैराग्राफ-1 में उल्लिखित करों के प्रतिरिक्त ग्रायवा उनके स्थान पर दोनों संविदक री राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे। संविदकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके-अपने प्रपने ऐसे कराधान क:नूनों में किए गए हों, जो इस करार के विषय हैं।

ग्रनुच्छेद 3

स'न'न्त्र परिभाषाण्

इस करार में, जब तक विषयगत पठ में अन्यथा श्रपेक्षित नहीं
हो :---

- "(क) "मारत" राज्य से ग्रभिप्राय है भारत गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो इससे प्रभि-प्राय है भारत गणराज्य को राज्य क्षेत्र और भारत गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुमार भारत की प्रभुक्षत्ता हो प्रथवा प्रभुसत्ता संबंधी तथा संपूर्ण ग्रधिकार हों।"
- (ख) "पोलैण्ड" शब्द से अभिप्राय है पोलैण्ड लोक गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो उससे अभिप्राय है पोलैण्ड लोक गणराज्य और पोलैण्ड लोक गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिस पर पोलैण्ड लोक गणराज्य के कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पोलेण्ड लोक गणराज्य की प्रभुसत्ता या प्रभुसत्ता संबंधी तथा संपूर्ण अधिकार हो।"
- "(ग) "েक संविदाकरी राज्य" त्रौर "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदी का ग्राह्मय विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार "भारत" या "पोलैण्ड" से है;

- (च) "1-" णज्य का वाल्य, विषय गन पाठ रू स्रोभा के छन्-मार, भारतीय कर प्रथवा पोलिण कर से है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नही होगी जो उन करों ये संबंध में किसी चूक अथवा भून के संदर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो प्रथवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई प्रार्थवण्ड हो;
- (ङ) "व्यक्ति" शब्द में व्यख्टि, कंपनो और ऐसी कोई भी अन्य सत्ता शामिल है जो संबंधित संविदाकारा राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों हे अन्दर्गत कर लगने योग्य डकाई मानौ जातो हो:
- (च) "कंपनी" शब्द का आशय किसी भी ऐसे निगमित निकाय अथवा किसी भी ऐसी सत्ता से है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कोई रुंपनी अथव। निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हो;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संन्दािकारो राज्य का उद्यम" पदों का ग्राणय कपणः एक संविदाकारी राज्य के किसो निवासो ढारा ^कसंचालित किसी उद्यम ग्रीर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा संचालित किसी उद्यम से है;
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों का ग्राशय भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार के वित्त संतालय (राजस्त विभाग) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है; और पोलैण्ड के मामले में वित्त संत्रो या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है:
- (झ) "राष्ट्रिक" शब्द का आणय किसो संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले किसी व्यप्टि और किसी भी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारों प्रथवा संस्था से हैं जिसे ग्रपनी हैसियत किसी संविदाकारो राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (ञा) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद का आशय किसो अंधिदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अधवा वायुयान द्वारा की गई किसी ढुलाई से हैं मिवाय उस स्थिति के जब जलयान अधवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लाग किए जाने का संबंध है, किसी णब्दावलो का, जो उसमें परिभाषित नहीं कुग्रा हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यया अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानुनों के अन्तगैत होना है जिन पर यह कगर लागू होता है।

ग्रनुच्छेद 4

राजस्व प्रयोजन संबंधी निवास स्थान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का ग्राणय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसके ग्रधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान ग्रथवा उस प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के ग्राधार पर, वहां पर कर लगाया जा सकता है।

 उन्हां पैराग्राप-1 के उपबन्धों के कारण व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों में का निवासी ो तो उसकी हैमियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहा उसे एक स्थायों निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदा-कारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत ग्रौर श्र/थिक संबंध वनिगठतर हो । (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

- (ख) यदि उस संविदाकारों राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिन निहित हैं. गिश्वत्र नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसे दोनों संविदाकरर राज्यों में कोई म्याया नितास उपत्रव्य नही हो, तो वह उस राज्य का नितासा माना जाएगा जिसमें वह व्यावहारिक रूप से रहना हो,
- (ग) यहि उसका दोगों हैं: राज्यों में ऐसा द्यावास हो जिसमें वह सामान्धतः रहता हो ग्राथवा उननें से किसो भा राज्य में ऐसा श्राक्षास नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासा भाना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि उप-पैराग्राफ (क) से (ग) के उपवन्ठों के अनुमार निवासस्थान का प्रश्न सुनिश्चित नही किया जा सकता हो, नो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारो पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहां किसी व्याब्ट से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण, दोनों संविदाकारों राज्यों का निवासी हो तो वह उम संविदा-कारी राज्य का निवासे माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध का स्लान स्थित है।

সন্-তব-5

स्वायी संस्थापन

ग्राइम करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायः संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णत: ग्रथवा ग्रंणत: किया जाता है।

2. "स्थायो संस्थापन" पद में विशेषतवा निम्नलिखित शामिल होंगे.

- (क) प्रबन्ध-व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय:
- (घ) कोई कारखाना;
- (अ) कोई कार्यणाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस-कूप, खदान अथवा प्राक्वतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई माल-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वनपालन, बागवानो अथवा नत्मंत्रंधी कार्य किए जाते हों,
- (ज्ञ) कोई परिसर जिसका प्रयोग विकय स्थल ग्रयवा ग्रादेश प्राप्त करने ग्रथवा मंगवाने के लिए किया जाता हो;
- (जा) कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसा प्रयोग प्राकृतिक मंसा-धनों की खोज के लिए किया जाता है:
- (ट) कोई वन स्थल अथवा को ई निर्माण-कार्यं, प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना (एसेम्बलो प्राजेक्ट) अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्सो कार्यकलाप, जहां ऐसा स्टल, परियोजना अथवा कार्य-कलाप छः माह से अधिक चालू रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:---

(a) उद्यम के माल प्राथवा पण्य वम्लुओं के केवल भण्टारण अधव। प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;

- (ख) केवल भण्डारण अथना प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संमःधित किए जाने के प्रयोज-नार्थ उद्यम के माल अथवः पण्य वस्तुओं का स्टांक रखनः;
- (व) किसा उद्यम के लिए माल ग्रावः पण्य वस्तुग्रों का केवल कय करने अथवा सूचना एगव करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का को ई निष्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लि., केंग्र विजारत देते. सूचतः प्रदान करने, वैज्ञातिक अनुसंधान अभवः ऐसे समान कर्यंकलापों के संबंध में जो प्रारम्भिक अथवः सहायक स्वरूप के हों; कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखनः;

तथापि, उन-पैराग्राथ (क) से (ङ) तक के उपबन्ध वहां ल.गू नहीं होंगे जहां उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए दूसरे संविद कारों राज्य में कितों उद्यम द्वारा कारोबार का कोई ग्रन्थ निश्चित स्थान रखा जान. हो।

4 पैरायाफ 1 और 2 के उपबच्धों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैरायाफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की और से कार्य कर रहा है तो उस उद्यम का प्रयत्नोल्लि-खित राज्य में उस स्थिति में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि--

- (क) उसे राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह व्यावहारिक रूप से उस प्राधिकार प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्जकलाप उस उद्यम के लिए मल अथवा पथ्य वस्तुए खरीदने तक हो सामिति नहीं ों;
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिक र न हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से माल अरथवा पण्य वस्तुओं का स्टाक रखता हो जिसमें सेवह उस उद्यम की ओर से माल और पण्य वशुओं की नियमति रूप से डिनीवर्रा करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण कोई स्यायी संस्थापन होना नही मतना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, समान्य कनीशन एजेण्ट घयवा स्वतंत हैसियत वाले किसी अन्य ऐजेण्ट के माठ्यम से कारोबार करता है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब किसी ऐसे ऐजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णता अथवा प्राया पूर्णता स्वय उस उद्यम की श्रोर से अथवा उस उद्यम और प्रत्य उद्यनों की झोर से किए जाते हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसी तरह के सामान्य कि म्रान्तांत एक स्वतंत्र हैसियत हो अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के ख्रांती एक स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट नहीं समझा जाएगा।

6 यदि कोई कम्पनी, जो एक संविककारी राज्य को निवासी है किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किती ऐसी कम्पनी ढारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे पंविद कारी राज्य का निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यया) करोबार करती है तो मान्न इस तय्य से हा उन दोनों कम्पनियों में से किती भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

यनज्छेद 6

ग्रचल सम्पत्ति सं ग्रांग

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाका ी राज्य में रिचत प्रचल सम्पत्ति (कृषि प्रथवा वानिकी सहित) से माप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 4

2 "अचल संपयि" द्विप का धर्थ वहीं होना जो उस ग़ंबिय करी राज्य के कतून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिममें नंबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किन्तों भो हल्का में ये आमिज हों लिन्यवल संपत्ति के प्रवसाधन के रूप में जंगतेत, इत्यि प्रांस व निर्क में प्रयुक्त पश्चन अप उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्ग्रेल नंबंगी ल.मान्द्र कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति के भोगते के अधिकार और दानिज मण्डार, लोत तथा अन्य प्राइतिंग संसाधनों के संव लग के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार से प्रतिगत के रूप में परिवर्तनाय अथवा नियत ग्रद्धानियों के अधिकार जलावन नोकाएं तथा व युवान अचल सम्पत्ति नहीं म ने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपभोग, उसे किराये पर देने झथवा कितं अन्य प्रक'र के प्रयोग से होने वॉर्ला घ्राय पर भी लागू होगे।

4. परेंद ग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध, किसं: उद्यम की अचल सम्पत्ति से ग्रेजित अध्य पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेव आों के निश्पादन के लिए प्रयुवत ग्रावल सम्पत्ति से अर्जित ग्राय पर भी लागू होंगे।

ग्रनुच्छेद ७

कारोबार के लभ

 किती संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लभा पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के मध्यम से उस राज्य में कारोब र नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से करोब र करता हो तो उस उद्यम के लाओं पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किंग्तु उसके केवल उक्तने श्रंश पर ही कर लगेगा निम्नलिखित के कारण उत्यन्न हुआ माना जा सकता है---

- (क) उस स्थायों संस्थापन;
- (ख) उस दूसरे रज्य में एक-सम'न प्रथवः उनसे मिलते-जुलते म.ल ग्रथवां पण्य वस्तुप्रों की बिकी जो उस स्थायी संस्थापन के मध्यम से की जती है; प्रथवा

(ग) उस दूसरे राजा में कारोबार संबंधी किए, जाने वाले ए,क समान युत्य कार्यकलाप ग्रथवा उससे भिलते-जुलते कार्यकलाप, जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हों।

. पैराग्राफ 3 के उपवंशों के अठोन रहते हुए, जहां एक संविदाकारों राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारों राज्य में स्थित किसो स्थायों संस्थापन के जरिये कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायों संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहतों जब वह एक समान या उससे मिलते-जुलते परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और मिन्न उद्यम होता है और उस उसम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायों संस्थापन है। किसो भो हालत में जहां किसो स्थायों संस्थापन के वार्यक्र कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और मिन्न उद्यम होता है और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायों संस्थापन है। किसो भो हालत में जहां किसो स्थाओ संस्थापन के कारण लाभों की सहो राश्वि का निर्धारण करना संभव नहीं है अथवा उसके निर्धारण में आनादारण कठिनाइयां आती हैं तो स्थायो संस्थापन के कारण लाभों की सहो राश्वि का निर्धारण करना संभव नहीं है अथवा उसके निर्धारण में आनादारण कठिनाइयां आती हैं तो स्थायो संस्थापन के कारण हाए 1.

3. किसी स्थायो संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, वे व्यय का फटौतियों के रूप में स्वेकार किए जाएंगे, जो स्थायो संस्थापन के कारो-बार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारो अथवा तथा प्रसासनिक व्यय भा शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उजवंधों के अनुसार हों, और उनको परिधि के अन्दर झाते द्वों, फिर कहे वे उन राज्य में किए गए हों जहां स्थायो संस्थापन स्थित है ग्रथवा अन्यत्न थिए गए हों। किन्तु, स्थायो संस्थापन झिरा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अयवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी जार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से मिश्न रूप में) को पेटेंटों, जानकारी

अथवा ग्रन्थ अधिकारों के उपयोग के बदलें रायल्टियाँड कीसी अथक ऐसा हा अन्य अदायगियों के तौर पर अथता का गई विशिष्ट सेवाओं अथता प्रवंत्र-व्यवस्था के गिए ककी जन अथवा अन्ध प्रभारों के तौर पर, अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, ज्यायो मंस्यापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकमें खदा को गई हों तो उनके संबंध में ऐना किया कटोता को ररोक्वति नहीं दा जाएगी। इसी प्रकार किमा स्याई संस्थापन ये लासों का निर्धारण करने में, उन रकनों को हिने ब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायों संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किनो कार्यालय के स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंडों, जानहारी अन्त्रा अन्त्र अधिकारों के उग्रागेग के बदले रामल्टियों, फामों अपना ऐसा डा अपन घर मोनों के रूप में की गई विशिष्ट से उन्हों अपना प्रचा न्यतस्या के लिए करोशन स्थवा अन्य प्रभारों के रूप में, प्रथवा कियो बैंक उद्यम के मामलों को छोडकर उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी_ कायलिय को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति में भिन्न रूप में) को प्रभारित का गई हों।

4. कोई लाभ केवल इस काग्ण से किसो स्थायों संस्थापन को प्राप्त हुन्ना नहीं माना जाएगा कि उस स्थायों संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदें गई हैं :

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोज रार्भ स्थायं। संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्शनुवर्ष उसी पढ़ति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं ुों।

6. जहां लाभों में आय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका इस करार के प्रत्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अन्च्छेद के उगबंधों से प्रभावित नहीं डोंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

 किसो संविदाकार्रा राज्य के किसा उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रांख यातायात में बायुयान परिवालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसो राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उत्वध किस पूल, किमा मंयुक्त कारोबार म्रथवा किसी अन्तरराष्ट्रोय परिचालन एजेंसो में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायु-यान परिचातन से संबंधित तिधियों पर ब्याज को ऐसे वायुधान के परिचालक से प्राप्त लाम मानः जाएगा, तथा अनुच्छेद 13 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे ।

4. "वायुयान-परिचालन" पद से तत्पर्य होगा---नायुयान के मालिकों या पट्टेवारों प्रथवा विकेताओं ढारा यावियों, डाक, पशुधन अथवा माल का वायुयान ढारा परिवहन करने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यतों को प्रोर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों को बिको, वायुयान का आनुधंगिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यकाः संबंधित काई अन्य कार्यक्रताँप णामिल हैं।

ग्रनुच्छेद-9

जहाजरानो

 ग्रेनराष्ट्रीय यातायात्र में जनवान के प्रवालन से आँज नामों पर केवल उसो संविदालारो राज्य में हो कर लाखा जाएगा जितने उद्यम के वास्त्रविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. यदि. अस्तरीष्ट्रीय यासायात में नौ-परिवहन का कार्थ कर रहे किसी जहाजरानी उसम को वास्तविक प्रवंध-व्यवस्था का स्थान किसी जलयान में हो तो उसे उन मंतिदाकारी राज्य में स्थिन माना जाएना जिसमें उन जलयान का धारता वंदरगाह स्थित है, यथवा बदि उस जलयान का अपना ऐसा कोई वंदरगह नहीं है तो उसे उस मंत्रिदाकारो राज्य में स्थित मान। जाएगा जिसमें उस जलवान का संचाल के सिवर्स । है।

3. किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अस्तर्राव्ट्रीय परिवालन अभिकरण में भागोदारी से प्रान्त लामों पर पैरा 1 के उनवंच भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और जहाजरानी के क्षेत्र में सहयोग के वारे में भारत सरकार ग्रीर पोलंड लोक गणरयज्य को सरकार के बाव हुए दिनांक 27 जून, 1960 के करार के प्रनुच्छेद VIII में शामिल वातों के होते हुए भी, किमो मंबिदाकारो राज्य के किसी उद्यम द्वारा अग्य संविदा-कारो राज्य की बंदरगाह से तोसरे देशों को बंदरगाहों के बोच जलयानों के संवालन मे प्राप्त ग्राय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लोगा लेकिन उक्त दूसरे राज्य में लगाए गए कर को उसके 50 प्रतिशन तक राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा।

अन् च्छेद- 1 0

सहयोगी उद्यम

जहाः

- (क) एक संविदाकारो राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकरो राज्य के किसो उद्यम को प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण द्रथवा पूंची में प्रत्यक्षतः या अत्रत्यक्षतः मःग लेना है; द्रथवा
- (ख) चे हो व्यक्ति एक संविदाकारो राज्य के किसो उद्यम ग्रौर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसो उद्यम को प्रबंध-व्यवस्था नियंत्रण या पूंजो में प्रत्यक्षतः ग्रयथता ग्रारत्यक्षतः भाग लेते हैं;

श्रीर दोनों में से किसी भा ग्रवस्था में, दोनों उद्यमों के बोच उनके वाणिज्यिक ग्रथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखा श्रथवा लगाई जाता हैं, जो उन शर्तों से मिन्न हैं, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बोच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने को स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुग्रा होता, किन्तु उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुग्रा, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे ग्रीर उन पर तदनुसार कर लगाया जा मुकेगा।

अनुच्छेद-11

लाभांश

 एक संविदाकारों राज्य को मिवासो किसो कम्पनी द्वारा दूसरे संक्तिताकारो राज्य के किसो निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2 तथापि, ऐसे लाभांशों पर उन संविदाकारों राज्य में भी कर लग सफता है जिस राज्य की लामांश प्रदा करने वाली कम्पनी निवासी है ग्रीर यह कर उस राज्य के कानूनों के प्रनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगो स्वाभी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों को सकल रकम के 15 प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगा जह, ऐसे लाभांश इस करार के प्रवृत्त होने के वाद किए गए टूंअंग्रदानों से संबंधित होते हैं।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश श्रदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांग" पद का अर्थ है ग्रेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों वे वाष्त्रियता दो. गवा बाय नियमित वादिकारों के प्राप्त जाव निय पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागु होतो है. जो उस राज्य के कानूनों धारा गेवर से प्राप्त जाय पर लागु होतो है. जिन नाज्य के वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

र्वे पैरामाफ 1 भीर 2 के उपबंध रिमति में लागू नहीं होते, सदि जाभाशों का हितमोगी स्लामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांग अदा करने बाली कम्पनी निवासी हो, स्थित किसी स्वायों संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अयवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसो निष्चित रूपान में उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रवान करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके संबंध में लाभांग अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायों संस्थापन अपवा निष्चित स्थान से प्रमार्ग रूग से संबंधित हों। ऐसे मामजे में अनुरुठेर 7 अपना 16 के उत्वंत यथास्थिति होंगे।

5. जहां कोई कम्पते जो एक संविदाकारी राज्य को निवासो है ग्रीऱ वह दूपरे संविदाकारी राज्य से लाम अथना आव प्राप्त करती वहां वह दूपरा राज्य, कम्पनों ढार अदा किए गए लामांगों पर किंसों प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किना निवासी को इस प्रकार के लामांग अदा नहीं किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिमके संबंध में लाभांग अदा किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिमके संबंध में लाभांग अदा किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिमके संबंध में लाभांग अदा किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिमके संबंध में लाभांग अदा किए जाते है, उप दूतरे राज्य में स्थित किसो स्थाई संस्थापन से अथवा किसो निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हैं अथवा कम्पनों के अवितरित जाभां पर लामांग अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

ब्याज

 संविदाकारी राज्य में उत्पत्त होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासो को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सर्केगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी ब्रीर उत्र राज्य के कातूनी के अनुसार कर लगाया जा सरोगा जिस राज्य में वह ब्राजिन होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिगत से ब्रधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी---

- (क) एक संविदाकारी राज्य में ऋजित होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित हारा प्राप्त किया गया हो या उनका उव पर हितमोगी स्वामित्व हो:
 - (1) दूसरे संविदाकारी राज्य को सरकार, राजनैतिक उप-प्राग ग्रथवा स्थानीय प्राधिकरण; ग्रथवा
 - (2) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैंट्रल ऊँक।
- (ख) एक संविदाकारी राज्य में अजित होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट दो जाएगी यदि उस पर दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी का हितमोगी स्वामित्व हो और वह निम्नलिखिन द्वारा दिए गए प्रयक्त समर्थित ऋण ध्रथवा उघार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो;
 - (1) पोलैंड के मामले में, बक हैंडलोवो डब्ल्यू वारशकोवी एस.ए. जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है;

5

⁽²⁾ भारत के मामले में, भारतीय झावाल-नियति बैंक (एष्टिंग बैंक), जिस भीषा तक देखा व्याज बेवल्त बायासो-नियतिों की विरा व्यवस्था करने के कारण होता है;

⁻⁽³⁾ किसी संविदाकारी राज्य के विदेश व्यापार की सार्व-जनिक थित्त व्यवस्था करने वाला कोई मो संस्थान;

(4) कोई अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋष्ण भथवा उधार प्रथमो-लिलखित संविदाकारी राज्य को सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

4. इस यनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" यब्द का आशव प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधो दावों से प्राप्त ग्राय से है चाहे वह बंधक ढास प्रतितृत हो ग्रथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारों का श्रधिकार प्राप्त हो ग्रथवा नहो, और खास तौर पर सरकारी प्रति-भूतियों से प्राप्त याय और बंध-पत्रों ग्रयवा ऋण-पत्रों, जिनेमें ऐसी प्रति-भूतियों से प्राप्त याय और बंध-पत्रों ग्रयवा ऋण-पत्रों, जिनेमें ऐसी प्रति-भूतियों, बंध-पत्रों ग्रयवा ऋण पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रोमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त ग्राय। विलम्बित ग्रदायगी के लिए ग्रथंदण्ड संबंधा प्रभारों को इस प्रनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएग। ।

5. पराग्रफ 1 ग्रार 2 के उपत्रंत्र उस स्थिति में लागू महीं होंगे मदि ब्याही का हिनभोगी स्वामी, एक संविदाकारो राज्य का निवामी होने के नाते, दूसरे संविदाकारो राज्य में जिसमें ब्वाज ग्रांजा हुया हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यन से व्यापत करता है, ज्यवना उस दूसरे राज्य में स्थिन एक मिश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयवितक सेषाएं प्रदान करता है ग्रीर जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज ज्ञादा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी मंस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छोद 7 प्रथवा जनस हो, नाग होंगे

β. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज, उत्यन्त हुन्ना माता आएगा, यदि ब्याज ग्रदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानोय प्राक्षिरण प्रयवा उस राज्य का कोई निवामो हो। किन्तु, जहां ब्याज ग्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदा-कारो राज्य का निवासी हो, ग्रथवा नहीं, पंविदाकारो राज्य में कोई स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संयंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज को प्रदायगी को गयी है. घौर इस प्रकार का ब्याज उस स्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान हारा वहन किया जाता है, तब वह ब्याज उस संविदाकारो राज्य में उत्पन्न हुग्रा माना जाएगा जिसमें वह स्थायो संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ज्याज मदा करने व ले और हितभोगी स्वामी के बीच प्रथवा उन दोनों के बीच तथा किसी घन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण, प्रदा की गयी ज्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ज्याज की रकम ग्रदा की गयी है, उस रकम से वढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, ग्रदा करने व ले ग्रीर हितमोगी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वडां इम ग्रनुच्छेद के उनबंध ग्रन्तिम वणित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, ग्रदायगी के श्रतिरिक्त भाग पर, इस करार के श्रन्य उपवधों का सम्यक ग्रुप लग करते हुए, प्रत्रेक मंबिदाकारी राज्य के काननी के ग्रनुस र कर लगाया जएगा।

अनुच्छेर 13

रायल्टियां श्रोर तकनीकी सेवाश्रों के लिए गुल्क

1 एक संविदाकारी राज्य में उत्पत्न होने वाली घौर दूसरे संविदा-कारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जोकिन, इव प्रकार कर रायस्टियों थाँ,र तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उन संविद्याकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के प्रनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पत्त हुए हों। परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायस्टियों ध्रयवा तकनीकी सेवाझों के लिए कीम का विजयकार प्रायत्थिय प्राप्तकर्ता रायस्टियों ध्रयवा तकनीकी सेवाझों के लिए कीम का विजयकार प्रायत्थिय प्राप्तकर्ता रायस्टियों ध्रयवा तकनीकी सेवाझों के लिए कीम का विजयकार प्रायत्थन का विजयकार प्रायत्थन का स्वयत्थन का विजयकार प्रायत्थन का त्या रायस्ट का लेकर का वाय का स्वयत्थन का विजयकार का स्वयत्थन का स्वयत्थ का स्वयत्थन का स्वयत्थन का स्वयत्थन का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थन का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थन का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थन का स्वयत्थन का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थ का स्वयत्थ

तकरीकी सेवाओं के लिए फोस की सकल रक्षम के 22.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायस्टियों शब्द कः अश्व किसी साहित्यिक. कल त्मक तथा वैज्ञानिक इत्तियों, जिसमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडिनो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए टेपों के प्रति-लिप्याधिकार, कोई पेटेंट, ट्रेड मर्क, डिन इन अथक माडल. प्तान, गुप्त पानू लिं अथव प्रक्तिर के प्रयोग के लिए, अपव प्रयोग धिकार के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिजिरक अथवा नैज्ञानिक उरस्कर, अथवा आद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकरी के प्रयोग अथवा प्रयोग धिकार के प्रतिक्ल के रून में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी;

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकर्नाकी सेकाओं के लिए फीस" पद का अन्धाय प्रवंतकोय, तहा को खयतः परामर्गदात्री स्तरूप की सेवत्र्यों, जिनमें तहनीकी अथवा अन्य क मिहों के सेवत्र्यों को व्यवस्था भी णामिल है, के प्रतिफल में अदायगियों करने व ले व्यक्ति के कर्मचारो को की गई अदायगियों से मिन्न, कितो भो व्यक्ति को की गयी किती भी रकम की अदायगियां।

5 परेरायाफ 1 तथा 2 के उसबंध उन स्थिति में लागू नहीं होंगे यादे रायल्टियों खपवा तकतोको सेवाओं के लिए फीस का दितमागी स्वामी जो एक संविद करी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां प्रयवाँ तकतीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उसमें स्थित कितो स्थापी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है प्रयवा उस दूपरे राज्य में स्थित कितो निष्टित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है तथा वह प्रधिकार, सम्पत्ति प्रयवा संविदा, जिसके संबंध में राल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्रदा को जाती है, एमे स्थापी संस्थापन प्रथवा निष्ट्रित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधि है। ऐसे मामले में, खनुच्छेद 7 प्रथक अन्च्छेद 15 के उपबंध, जैना भी मामला हो, लाग होंगे।

6. किसी संविद करेरी राज्य में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाझों के लिए फीस उस स्थिति में उद्रभूत हुई मानी जाएगी यदि घ्रदा करने वाला स्वनं वह राज्य, उसका कोई राजनतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण ग्रयवा उस राज्य का कोई निवासी हों। परन्तु, जहां रायल्टियों प्रयवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस घदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है प्रथवा नहीं, किसी संविद-कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन ग्रयवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियों ग्रयवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ग्रदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो, तथा ऐसी रायल्टियों प्रथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन ग्रयवा निश्चित स्थान हारा वहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियां ग्रथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्दमूत हुई मानी जाएगी जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अया करने वाली तया हितभोगी स्वामी के बीच अयवा उन दोनों भ्रीर कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवर्श्यों के लिए अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होती, तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वणित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों की रकम का अतिरिक्त भाग इस करार के अभ्य उपबंधों की सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविद करो राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाये जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 14

पूंजी प्रभिलाभ

[माग II--खंड 3(i)]

मंतरण से प्राप्त होने व से अभिनाओं पर उस हुमरे राष्टा में कर मधाया जा मकेगा।

2. चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिवाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संवदाकारी राज्य के किसी निव सी को स्वतंत्र व्यक्तिन सेवाग्रों के शिष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे राविदाँकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन (ग्रकेले ग्रथवा सम्पूर्ण उद्यम के सप्थ) ग्रथवा ऐसे निश्चित स्थान के श्रन्तरण से होने वाले ऐसे ग्रभिलाभ भी शामिल हैं, जन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा बायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों प्रथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति, के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टाक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाक री राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उमी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कम्पनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेवरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेंगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 ग्रीर 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न विसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लरगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

ग्रमुच्छेद 15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

 किसी व्यक्टि ट्रारां जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी व्यावसायिक है, सेवाग्रों प्रभवा उसी स्वरूप के प्रभ्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त ग्रांथ, निम्मीलेखित परिस्थितियों को छोड़ कर, जब ऐसो ग्राय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :--

- (क) यदि उसे अपने का कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उदभ्त हुई मानी जा सकती है; अथवा
- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी ग्रवधि अथवा अवधियों उस दूसरे राज्य के संगत ''पूर्ववती वर्ष'' ग्रथवा ''ग्राय वर्ष'' में जैमा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन ग्रथवा उससे ग्रधिक हो, तो उस मामले में उक्त ग्राय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलागों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र "ज्ञानिक, साहित्यिक, कला" रमक, ग्रांक्षिक अध्यवा अध्यापन संवधी कार्यकलाप तथा चिकिस्सकों, सल्प-चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनियरों, वा.शुक्रियो, वन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप झामिल हैं।

मनुच्छेर 16

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 32 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बैतन, मजदरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बहां से प्राप्त होत. है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किती निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लग/या जा मकेगा, यदि:--

- (क) प्राप्तकर्ती संगत ''पूर्ववर्ती वर्षे'' अयवा ''ग्राय वर्षे'' में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अव्यका अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजुद रहा हो;
- (ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा ग्रयवा उसकी श्रोर से ग्रदा किया जाता है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; ग्रौर
- (ग) पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थाई संस्थापन अथवा निषिचत स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो दूसरे राज्य में स्थित है।

3. इस अनुच्छद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी एक संविदा-कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारः अप्रनर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान प्रथवा वायुयान के परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कल लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस तया उच्च स्तरीय प्रबंधकीय

अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलतीजुलती ग्रदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे राज्य की निवासी है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त कर्नुचारी की हैसियत से प्राप्त वेतन, मंजदूरी तथा उससे मिलते-जुलते पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

ग्रनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्ता तथा खिल।डियों द्वारा प्रजित आध

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचिन्न, रेडियो प्रथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्य-कलापों से, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सके ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिल झी द्वारा इस प्रकार की प्रपनी हैसियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में उरभूत होने काली भाय स्वयं मनोरंजनकर्ती अथवा खित्र ही को प्राप्त नहीं होती है भपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां अनु-च्छेद 7, 15 धीर 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस अध्य पर कर उस संविदाक के राज्य में लग मकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता ध्रयदा खिलाई द्वारा ऐसे कार्यकर्तन प्र किए गए हों।

3. पैरागाः 1 के उपवंधों के होते हुए भी किसी मतारंजनकर्ता मथवा किसी खिल ड़ी द्वारु, जो एक संविद कारी राज्य का निवःसो है, दूसरे संविधकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने व्यक्ति-गत कार्यकलःपो से अर्जित आय प्रथमोल्लखित संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगो, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलःप दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक अथवा खेल-कृद कार्यंकम के आदान-प्रदान के दायरे में अाते हैं और जिसमें उनके राजनैतिक उप-प्रभाग अधभा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, प्रथमो उल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः सर्मायत होते है।

4. पराश्व कि 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसों मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिल ड़ी ढारा उतो हैसियन में एक संविद कररी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्य-कज पों के तंत्र में प्राःत अय, मनोरंजनकर्ता अथवा खिन ड़ी को स्वय प्राप्त नहीं होतीं है परंतु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह आय केवल दूसरे संविद कारी राज्य में ही करयोग्य होगी, यदि उस दूसरे व्यक्ति के का कलाप दोनों संविदाकारी राज्यों ढारा स्वीकृत मांस्कृतिक अथवा खेल-कूद कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के दायरे में आते हैं, उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्था-नीय प्राधिकरण्म भी धामिल हैं।

ग्रमुच्छेद 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्वमिक तथा पेंशनें

 (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्था-नीय प्राधिकरण के लिए किसी सरकारी स्वरूप की स्वीकृतियों के निर्व-हण में की गई सेवाओं के संबंध में प्रदत्त पेंशन से भिन्न परिश्वमिक पर कर केवल उस संविद कारी राज्य में ही लग सकेगा।

(ख) लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में प्रदान जाती हैं तथा वह व्यष्टि उस राज्य का निवासी है जो:

(1) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(2) मान्न सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राज-मैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सृजित किए गए कोष में से किसी व्यष्टि को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर-योग्य हो सकेगी यदि व्यष्टि उस दूसरे राज्य का कोई निवासी है तथा उसका एक राष्ट्रिक है।

3. ग्रनुच्छेद 16, 17 ग्रीर 18 के उपवंच किसी संविदाका ही राज्य ग्रथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग ग्रयवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों रप लागू होंगे।

सन च्छेद 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी धारा अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंगत में मिन्न किसी ग्रन्थ येंगत पर, जो दूसरे मंविदाकर्रिंग राज्य में आंतरिक म्वोत्तों में प्राप्त हुई हो. केवल प्रथनोल्लिखित राज्य में ही कर सकेगा।

2. "पेंगन" गन्द का अर्थ है पिछनी सेवाओं को ध्यान में रखने हुए ग्रथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान चोटग्रस्त होने के लिए प्रति-पृति के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी।

3. "वार्षिको" शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधोन जोवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो ।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों ग्रीर प्रशिक्षुम्रों द्वारा प्राप्त श्रदायगियां

 ऐसी अदायगियों पर, जिन पर कोई विद्यार्थी अववा व्याव-सायिक प्रशिक्ष, जो किसी संविदाकारो राज्य का दौरा करने के तुरंत पहले किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अथवा था और जो मात अपनी जोविका, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अपनी णिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्न करने हेतु प्रथम उल्लिखिन राज्य में उपस्थित है, उस राज्य में कर नहीं लगाया जा सकेगा बगर्ते कि ऐसी अदाय, गयां उस राज्य के बाहर के स्रोत से उद्भूत होती हों।

2. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु द्वारा किमो ऐसे संविदाकारी राज्य में, जिसमें बहु मात अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, किए गए कार्यकलापों के संबंध में प्राध्त आय उस राज्य में कर-योग्य नहीं होगो जब तक कि यह राशि उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रावश्यक राशि से अधिक न हो।

3. उस यनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी प्रवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा ग्रयवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित ग्रयवा साधारणतया अपेक्षित हो धरंतु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्याप्टि को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस के प्रथमत: पहुंचने की नारीख मे लगातार पांच वर्षों से आधिक प्रवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

4. इस ग्रनुच्छेद तथा ग्रनुच्छेद 2? के प्रयोजनार्थं, किसो ब्यण्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उन संविदाकारी राज्य का उसु "पूर्ववर्ती ५ छँ" ग्रथव। " आय वर्षे" में, जैसो भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है ग्रथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पिछने वर्षे" ग्रथवा " ग्राय वर्षे" में निवासो रहा हो।

म्रान्च्छेद २२

प्राध्यापकों, ग्रध्यापकों तथा शोध छान्नों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी गज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारों राज्यों में से एक राज्य का निवामी है अथवा था, ऐसे प्रध्वापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उन दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारोख से प्रधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए कर से छूठ प्राप्त होगा।

2. यह अभुज्छेद सोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य जन-हित में नहीं है बल्कि सुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा 'यक्तियों के निजी लाभ के लिये है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी ढारा इस संबंध में अभुमोदित किया गया हो।

ग्रनुच्छेद--23

ग्रन्य ग्राय

। पैराग्राभ. 2 के उपबंधों के श्रधीन रहते हुए भें। एक संविदा-कारी राज्य के किर्मः निवासी की द्याय की वे मर्टे, जहां-कहीं उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेटों में विगेष रूप से विचार नहीं किशा गया है, केवल उस मंविदाकारी राज्य में कर लगने योग्य होंगी।

2. पैराग्राधा 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली श्राय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ती, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किमी स्थायो संस्थापन के साध्यम से उसमें कारवार करता है अथवा उस दसरे संविदाकारी राज्य में स्थित निष्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेशाएं निष्पादिश करना है और जिस अधिकार अधदा सम्पत्ति के गंबंध में आय धदा की जातो है वह ऐसे स्थायो संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेट 15के उगबंध,जैसी भोग्थिति हो, लाग् होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपवंधों के होते हुए भी, एक संविदा-कार्रा राज्य के किसी निवामी की ग्राय को उन मदों पर, जिनका इस करार के पूर्वतर्नी अनुच्छेडों में विचार नही किया गया है श्रौर जो दूतरे संविदाकारी राज्य में उद्गुत होनी हैं, कर उस दूमरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

4. मंत्रिदाकारों राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अनुमार किमो करार के होने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के साथ मम्पर्क स्वापित कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्ज के द्वारा इस अनुचलेद में दिए गए पारस्परिक करार प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु, समुचित द्विपकीय प्रक्रियाओं, जर्तों, पडतियों और कार्य-पढनियां का विकास करेंगे।

ग्रन्च्छेद--24

दोहरे कराधान नी समाप्ति

 दोनों हो संविदाकारो राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदा-कारो राज्यों में आय के कराधान को णासिन करते रहेंगे सिवाय उसके कि जहां इस करार में उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनागू जाने है।

 टोनों संविदाकारों राज्यों में दोहरे कराधान का परिहार निम्त-लिखित तरीके से किया जाएगा .---

(क) जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई नियासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर, इस करारा के उपवंधों के अनुसार, इसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहां प्रयमो-लिलखिन राज्य, इस पैराग्राफ के उपनरेरा (स) के उपवंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय को कर से छूट थे सकता है परन्तु उस व्यक्ति का शेष आय को कर से छूट थे सकता है परन्तु उस व्यक्ति का शेष आय पर कर को संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकता है जो उन स्थिति में लागू होती वर्षि छूट-प्राप्त आय पर इस प्रकार की छूट नही दो गई होती। (ख) दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाते समय, कर के उस झाधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाए जाने हैं, आय की उन भदों को शामिल कर संकेंगे जिन पर इस करार के अनुच्छेद 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार पर संगणित कर की राणि में से दूसरे संविदाकारी राज्य में ग्रदा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती देंगे। तथापि, ऐसी कटौतों प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसाकि कटौती मंजूर करने से पहने संगणित किया गया हो, जो उस आय के अनुकुल हो जिस पर इस करारार के अनुभछेद 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उप-पैराश्राफ (ख) के प्रयोजनार्थ "दूसरे संविदा-भारी राज्य में खदा किया गया कर" पदावलो में ऐसी कोई भी रकम शामिल को गई मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के कराधान से संबंधित कानूनों के ग्रंतर्गत कर लगाने योग्य ग्राय की संगणना करने में अनुमत कटौती ग्रथवा छूट ग्रथवा कर की कटौती ग्रथवा अन्यथा रूप में किसी राहन के नहीं होने की स्थिति में देय होगी।

ग्रनुच्छेद 25

सम-व्यवहार

1 एक संविदाक री राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तरसंबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक मारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परि-स्थितियों में अथवा बैंमी ही शर्तों के अधीन लगू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाक रे. राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरा राज्य में ऐसी कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में उन्हीं परिस्थितियों में तथा यैसी ही शर्तों के अवीन उसी तरह के कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाए जाने वाले करोधान से अपेक्षाक्वन कम अनुकुल हों।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वर्र एक संविदाक री राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के अतिवासी व्यख्टियों को कोई ऐसी वैयवितक छूटें, राहतें, कटौतियां तथा कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो कनून ढारा उस रज्य के निवासी व्यख्टियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः घथवा अंगतः दूं रे संविदाकारी राज्य के एक ग्रथ्व। एक से घ्रधिक किवासियों के, प्रत्यक्षतः ग्रथवा ग्रप्रत्यक्षतः स्वामित्व प्रथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान ग्रथवा तत्संबंधी कोई ऐसी प्रपेक्षा ल गू नहीं की जाएगी जो उस कराधान ग्रौर तत्संबंधी ग्रपेक्षाग्रों से भिन्न ग्रथवा ग्राधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के ग्रन्थ वैसे ही उद्यमों पर उन्ही परिस्थिनियों तथा वैसी ही गर्लों पर लागू होती हैं ग्रथवा हो सकती है ।

5 इस अनुच्छेद में, ''कराधान'' पद का आशय उन करों से है जो इस करार के विषय है ।

6. उन मामलों को छोड़कर जिनमें इम करार के म्रानुच्छेद-11, अनुच्छेद-12 के पैराप्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के उप-बंध लागू होने हैं एक संविदाकारी राज्य के किसी उच्चम द्वारा दूसरे

9

संविदाक री राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किया गया ब्याज, रायल्टिय धौर ग्रन्थ भुगतान, ऐसे उद्यम के कर लगाने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थं उन्हीं समान शर्तों के प्रधीन कटौंती पाने योग्य होंगे, जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किए गए थे। इसी प्रकार एक संविदाकारी गज्य के किसी जद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्ती के ग्रधीन कटौती पाने योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी जिवासी को धनवंधित किए गए थे।

7. दोनों संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों के ग्रंतर्गत कराधान प्रयोजनों के लिए उपलब्ध छूटों, राहतों, कटौतियों, घटौतियों ग्रौर मोक पर इस करार के किसी उपबंध से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग्रनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

 जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक ग्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है ग्रयवा लगाया जाएगा वह इस करार के ग्रनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी ग्रपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला, उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर ग्रवश्य परतुत किया जाना चाहिए। जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो जो : करार के ग्रनुरूप नहीं हो।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में प्रसमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति ढारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी करार हो गया हो, उसे संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सीमा के होने के बःवजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा ।

3 इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां ग्रथवा संकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सर्केंगे जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. पूर्वोक्त पराग्राफों के अभिप्राय के ग्रंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के सत्थ सीधा पत्र-व्यवहर कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक प्रादान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतात होता हो, वतां ऐसा आवान-प्रदान एक प्रायोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

ग्रनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) अादान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के प्रथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित श्रान्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अावश्यक हैं, जो इस करार के ग्रंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके प्रधीन विद्यमान कराधान-व्यवस्था विश्वेष रूप से ऐसे करों की जालमाजी ग्रथवा अपर्यंचन को रोकने के लिए करार के प्रतिकूल महीं हो । कितो संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस दाज्य के प्रान्तरिक कानूनों के ग्रंतगंत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन, यदि उक्त सूचना को, सुचना मेजने वाले राज्य में मुल रूप से गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय फ्रौर प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएग, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन प्रयवा प्रायोजन के संबंध में अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन प्रयवा प्रायोजन के संबंध में अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन प्रयवा प्रायोजन के संबंध में अथवा उनकी संबंधित प्रपीलों के निर्धारण में प्रत्यप्रेंस्त हों, जो इस करार के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति ग्रथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु थे उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु थे उक्त सूचना का सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही प्रथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समचित शेतों, पढतियों छौर तकनीकों की विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा ग्रावान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का ग्रादान-प्रदान भी शामिल है ।

2. सूचना अथवा दस्त वेजों का ग्रादान-प्रदात या तो नेमी ग्राधार पर ग्रथवा किन्हीं विशिष्ट मामलों में ग्रनरोध मिलने पर ग्रथवा दोनों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिक री समय-समय पर परस्पर यह तय करेंगे कि किस-किस सूचना का या किन-किन दस्तावेजों का नेमी ग्राधार पर ग्रादान-प्रदान किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह ग्रर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिग, बाध्य करते हैं:---

- (क) उस संविदाकारी राज्य ग्रयवा दूसरे संविद कारी राज्य के क.नूनों ग्रथवः प्रशःसनिक परिप.टी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्म के कानू नों क अन्तर्गत प्रयवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते ;
- (ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तःवेज सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक व्यावसायिक, श्रौद्योगिक, वाणिज्यिक श्रथवा वृत्तिक भेद खुल जाएगा श्रथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया ग्रथवा सूचना। जिसको प्रकट करना सार्वजनिक मीति के विपरीत होगा ।

সনুস্টার 28

कर-बसुली में सहयोग

 संविदाकारी राज्य इस करार से संबंधित करों की वसूली में उन मामलों में एक-इसरे राज्य की मदद करने और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहां अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार, कर निश्चित रूप से देय हैं।

2. वसूली के प्रवर्तन के किवी अनुरोध के मामले में किसी भी संविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावों को, जिनका ग्रन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है उसे दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे अनुरोध किया गया है, और उनकी वसूली, उस राज्य के करों के प्रवर्त्तन और उनकी वसूनी हेनु लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी ।

3. भारतीय कर के मामले में अनुरोषपत को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग वित्त संजालय, भारत ढारा वित्त मंत्री पोलैण्ड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत संलग्न होगा जैसा कि भारत के क:नूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों को अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता ढारा देव हैं। 4. पोलैंग्ड कर के मामले में, अनुरोभपत वित मंती, पोजैण्ड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक कर कोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रातथ, भारत के पास भेता जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाण-पत संलग्न होगा कि पोतैण्ड के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं।

5 जहां कर संबंधी दावा इस सबंध में आपति किए जाने अथवा किसी ग्रन्थ कार्यवाही के का रंग दिगेंग नहों बा। हो, वहां एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व को बवाने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उसके दूस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इस तरह वैध हैं।

6. किसी करदाता से प्राप्तव्य करों की वसूती में सहायता के लिए अनुरोध तभी किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले नंदिकाकारो राज्य में उस करदाता से कर वसूत करने के लिए उसकी पर्याप्त परिपत्तिया उपलब्ध न हों।

7. जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर वसून किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार वसूल को गई रकम को तत्पण्चात् तुरन्त दूसरे संविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने अनुरोध किया था।

भगुम्छन 29

राजनयिक तथा कींसुली कार्यं कलाप

इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विगेष करारों के उग्वंबों के अंतर्गत राजनमिक अथवा कींसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई-प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

শ্বন্ভ্টৰ 30

. . प्रवर्तन

प्रत्यक पंतिराकारी राग्र दूसरे संविद्दाकारी राज्य को इस करार को प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के प्रधीन अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा हो जाने के बारे में प्रधिसूचित करेगा। यह करार, इन प्रधिसूचनाओं में से बाद वाली प्रधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसके ब.द

- (क) भारत में, उस केलेण्डर वर्ष के, जिउनें वाद वाली घविसूचना बी गई है, अगले घनुवर्तों वर्ष के, ग्रप्रैंग माह के प्रथम दिन को घयवा उसके परवात् प्रारम्म होने वाले किती पूर्ववर्ती वर्ष में उद्मूत होने वाली घाय के संबंध में ,
- (ख) पोलैण्ड में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधि सूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ग के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्वात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भुत हई आय के संवंध में ।

भनुच्छेर 31

समाप्ति

यह करार प्रतिष्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भौ संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की ग्रवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी केलैण्डर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित नोटिस े सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार :

- (क) भारत में जिस केलुण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परिवर्तों वय के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पक्ष्वात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्तों वर्ष में उद्भूत होने वानी आय के संबंध में ;
- (ख) पोलैण्ड में, जिभ केतैण्डर वर्ग में सनाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्तों वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को प्रयवा उसके पश्वात् आरम्भ होते वाले किजी आय वर्ष में उद्धूत होते वाली आय के संबंध में निष्प्रमायी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकत ग्रवोहस्ताक्षरियों ने इ.स. करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

वारसा में वर्ष एक हजार नौ सो नवासी के जून माह के 21वें दिन को हिन्दी पोलिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न] किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिफ हैं। हिन्दी और पोलिश पाठों सें भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

इ./-	ಕ. /-
(के. नटवर सिंह)	(टी. ओलेचोवस्की)
भारत गणराख्य की	पोत [ै] ण्ड लोक गणराज्य
सरकार को ओर से	को सरकार की ओर से

[म्रधिसूचना सं. 8574/फा. सं. 501/8/79--एफ. टी. डीं.] पो. के. ग्रप्साच्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1990

INCOME-TAX

G.S.R. 72(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 26th October, 1989, after the notification by both the Contracting States and communication to each other of the completion of procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 30 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

[PART II-SEC. ?(i)]

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Polish People's Republic desiring to further develop and facilitate the economic relationship between the two countries, and having decided to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

- (a) in India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961;
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964;
 - (hereinafter referred to as "Indian tax").
- (b) in Poland :
 - (i) the income tax (podatek dechodowy);
 - (ii) the tax on wages and salaries (podatek od wynagrodzen');
 - (iii) the equalisation tax (podatek wyrdwnawczy); and
 - (iv) the agriculture tax (podatek rolny); (hereinafter referred to as "Polish tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by, either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws, which are the subject of this Agreement.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term 'India' means the Republic of India and when used in a geographical sense means the territory of the Republic of India and any maritme area adjacent to the territorial waters of the Republic of India within which, under the laws of India and in accordance with international law, the Republic of India has sovereignty or sovereign & exclusive rights.
- (b) the term 'Poland' means the Polish People's Republic and when used in a geographical sense means the territory of the Polish People's Republic and any maritime area adjacent to the territorial waters of the Polish People's Republic within which, under the laws of the polish People's Republic and in accordance with international law, the Polish People's Republic has sovereignty or sovereign and exclusive rights.
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Poland, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Polish tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes :
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representatives and in the case of Poland the Minister of Finance or his authorised representative;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving the status from the laws in force in the Contracting State;

(j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

FISCAL RESIDENCE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Stote in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if the question of residence cannot be determined according to the provisions of subparagraphs (a) to (c), the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

(a) a place of management;

- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities continue for a period of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or dispaly;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise:
- (e) the maintanance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or far similar activities which have a peparatory or auxiliary character, for the enterprise.

However, the provisions of sub-paragraph (a) to (e) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of tusiness in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said subparagraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an idependent status to whom paragraph 5 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a prmanent establishment in the first mentioned State, if

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on businss in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an idependent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agirculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct for immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise o fwhich it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts if any, paid (other than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of his article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lesseses or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Profits from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Conracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management ot an enterprise carrying on shipping in international traflic is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to profits derived from the particiation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. Notwithstanding anything contained in paragraph 1 and Article VIII of the Agreement dated 27 June, 1960 between the Government of India and the Government of the Polish People's Republic regarding shipping co-operation, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships from the ports of the other Contracting State to the ports of third countries and from the ports of third countries to the ports of the other Contracting State may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State of an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividents paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends where such dividends relate to contributions made after the entry into force of this Agreement.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws o^e the State of which the company making the distribution is resident. -----

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contrcting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent esta-blishment of fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, -

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :
 - (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank of the other Constracting State;
- (b) Interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a reisdent of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :
 - in the case of Poland, Bank Handlowy (i) Warszawise SA, to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

- (ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;
- (iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;
- (iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this article means income from debt-claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-clain in respect of which the interest is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the prayer is that Contracting State itself, a poliical sub-division, a local autho-rity or a resident of that State. Where, however. the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall he deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the paver and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the paver and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shal remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHANICAL SERVICES

.1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 22.5 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State its-lf, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in article 6, and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income" as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are within the framework of cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States and are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if the activities of that other person are within the framework of cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States and are supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or a political sub-division or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, of out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of articles 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the firstmentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Income derived by a student or business apprentice in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not be taxable in that State, unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

3. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State. 384 Gl90-4 4. For the purposes of this article and article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preecding "previous year" or the "year of income".

Article 22

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State or any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other state.

2. This article shall not apply to income from research if such research is not in public interest but is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contractinng State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching on agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities shall through consultations develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this article.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In both the Contracting States, double taxation will be avoided in the following manner :

- (a) Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.
- b) Either of the Contracting States when imposing taxes on its residents may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of Articles 11, 12 and 13 of this Agreement may also be taxed in the other State but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax leviable by the first-mentioned State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 11, 12 and 13 of this Agreement may be taxed in the other State.

3. For the purposes of sub-paragraph (b) of paragraph 2 the term "tax paid in the other Contracting State" shall be deemed to include any amount which have been payable as tax but for any relief by way of a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income in force in that other Contracting State.

Article 25

NON DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall rot be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation, and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on

enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is who'ly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

6. Except where the provisions of Article 11, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13 of this Agreement apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capial of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

7. The exemptions, reliefs, reductions, deductions and allowances for taxation purposes available under the domestic laws of the two Contracting States shall not be adversely affected by any provision of this Agreement.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the

10

competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time fimits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to each agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State. it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enor prosecution in respect of. or the forcement determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis. 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Agreement relates. in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the States making the request.

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request i_s made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, India to Minister of Finance, Poland or his authorised representative and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. In the case of Poland tax, the request will be sent by the Minister of Finance, Poland or his authorised representative to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Poland to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to apeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such inferim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for

recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these potification and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Poland in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Poland, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at WARSAW this Twenty First day of June one thousand nine hundred and eighty nine in the Hindi, Polish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the Hindi and Polish texts, the English text shall prevail.

Sd|-

(K. NATWAR SINGH)

Sd|-

For the Government of the Republic of India.

For the Government of the Polish People's Republic.

(T. OLECHOWSKI)

[Notification No. 8574 F. No. 501|8|79-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.